

खालत उपखण्ड अधिकारी युगम सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)
 नाथुलाल S/अमीचंद जी ए.ए.ए. / राज-सरकार जिरिये
 जातिगणनागर नि-तखतगढ (अमीधारी) तहसीलदार
 मुकदमा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नं. सुमेरपुर etc.

धारा-212, 210 R.T.A. सं. वि. 59/2016

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
२०/१/१६	<p>प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता - श्री पूर्णेश बोहरा ने यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण संख्या ① लगाम ⑩ तक के अन्तर्गत धारा 212, 210 R.T. Act 1955 में पेश अदालत किया। जो दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी हो। नोटिस के साथ प्रार्थना पत्र की नकलें भेजी जावे। पत्रावली आयंदा दिनांक 21/9/16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली</p> <p>राजस्व विधि सं. 59/2016 नाथुलाल वगैरा बनाम राजस्थान सरकार वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, 210 आर.टी.एक्ट, 1955</p> <p>दिनांक 21.09.2016 प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं.01 तहसीलदार सुमेरपुर उपस्थित। हमने, पक्षकारों की बहस दलील को सुना, साथ ही इस पत्रावली एवं संबंधित मूल वाद पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। कथित प्रकरण की वाद-विषयक स्थिति अनुसार सरहद मौजा तखतगढ, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 762/1006 रकबा 0.23 हेक्टर किस्म गै.मु.पायतान में से रकबा 14 वर्गगज भूमि, जिस पर प्रार्थीगण (वादीगण) ने 50 साल पुराना कब्जा होने के आधार पर प्रतिकूल कब्जा सिद्धान्त के तहत अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के विरुद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत लगातार-</p>	



उपखण्ड अधिकारी
 सुमेरपुर, जिला-पाली

राजस्व विविध सं. 50/2016 नाथुलाल वर्गेश बनाम राजस्थान सरकार वर्गेश
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, 210 आर टी.एक्ट, 1956

खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु मूल वादपत्र प्रस्तुत किया है, इसके साथ ही मूल वादपत्र गुणावगुण के तहत विधिसम्मत निस्तारित नहीं हो जाए, तब तक इस प्रकरण के तहत वादग्रस्त भूमि में से अप्रार्थीगण या अन्य कोई प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है।

प्रश्नगत मामले में अप्रार्थी सं.01 तहसीलदार सुमेरपुर ने उक्त वादग्रस्त भूमि के बारे में राजस्व रेकॉर्ड एवं मौका स्थिति से संबंधित न्यायालय हाजा को मौखिक रूप से निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि गत् व हाल राजस्व रेकॉर्ड में सरकारी सिवायचक व किस्म गै.मु.पायतान दर्ज है, इसके अलावा मौके पर यह भूमि नगरपालिका तखतगढ के आबादी क्षेत्र में स्थित है जो नगरीय क्षेत्र की परिधीय सीमा में आती है तथा इसके अलावा प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थीगण बतौर अवैध व नाजायज रूप से काबिज रहे है, वर्तमान में उक्त प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थीगण का, किसी प्रकार से कब्जा नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि बावत किसी प्रकार से खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पाने के लिए कानूनन हकदार नहीं बनते है तथा ना ही इस प्रकरण के जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के कोई विधिक हकदार बनते है, अतः इसके आधारेत प्रार्थीगण का कथित मामला प्रथम दृष्ट्या विधि के अनुरूप चलने योग्य व पोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज फरमावे।

प्रश्नगत मामले में उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड व उल्लेखित तथ्यों पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हम, अप्रार्थी सं.01 तहसीलदार सुमेरपुर की तथाकथित मौखिक रिपोर्ट से सहमत है तथा इस संदर्भ में हमारी विधिक राय है कि वादग्रस्त भूमि प्रथमतः गत् व हाल राजस्व रेकॉर्ड में सरकारी सिवायचक व किस्म गै.मु.पायतान दर्ज है, इसके अलावा मौके पर यह भूमि नगरपालिका तखतगढ के आबादी क्षेत्र में स्थित होने से नगरीय क्षेत्र की परिधीय सीमा में आती है, इसके अलावा प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थीगण बतौर अवैध व नाजायज रूप से काबिज रहे है और वर्तमान में उक्त प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थीगण का किसी प्रकार से कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथमतः इस प्रकरण अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि के बारे में प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के विरुद्ध किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के, विधिक हकदार नहीं बनते है।



उपखण्ड अधिकारी
जिला-पाली

लगातार-

क्र.सं.
दि.सं.


पुनः या कार्यवाही मय इनिशियलस जाय

पुनः या तारीख
नं.सं. व
तारीख

राजस्व विधि स. 29/2016 न्यायालय नरीस नयाम राजस्थान सरकार नरीस
प्राथना पत्र अन्तर्गत घास 212, 210 आर.टी.एक्ट, 1986

अतः उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचित तथ्यों के परिणामतः सरहद मौजा तखतमल, तहसील सुमेरपुर में स्थित चादसरत भूमि खसरा नं. 762/1006 एकबा 0.23 हेक्टर किरम गै.मु.पागतान में से एकबा 14 वर्गमज भूमि बाबत प्राथीगण का यह प्राथना पत्र विरुद्ध अप्राथीगण के कतिपय प्राक्धानों के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का प्रथम दृष्ट्या ही चलने योग्य व पोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे राज्य खारिज किया जाता है।

यह आदेश बरोज आज दिनांक 21.09.2016 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फौरन में शुमार होकर नंबर से कम हो एवं संबंधित मूल चाद पत्रावली के साथ नथी की जावे।


अखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

